

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा. / पेयजल परिवहन / 2014 / 1110-36 जयपुर, दिनांक 13.2.14.  
जिला कलेक्टर,  
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बारां, बीकानेर,  
चुरू, डूगरपुर, जोधपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा,  
जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, पाली एवं बून्दी ।

विषय:— अभाव सम्बत 2070 में अकाल प्रभावित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में  
आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (1) (4) आ.प्र.एवं सहा. / सामान्य / 2013/734-800 दिनांक 28.01.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत व्यव हेतु जारी मानदण्डों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से पेयजल व्यवस्था के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएः—

- जिले में अभाव अवधि की तिथि 28.01.2014 से आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर जिले की आवश्यकता अनुसार 30 दिवस तक पेयजल परिवहन व्यवस्था निर्धारित कर सकता है। 30 दिवस की अवधि उपरान्त जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार अभाव स्थिति की निरन्तरता होने पर इसे अधिकतम 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा। अतः 30 दिवस पश्चात आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव राज्य कार्यकारी समिति से अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।
- जिले के आबादी क्षेत्रों में जहां नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जावें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाए।
- स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये:—
  - ऐसे गांव जहां अनावृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 कि.मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहां संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।
  - ऐसे गांव, जहां पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं, परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है, वहां भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

12/2/14

4. यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर द्वाली/ऊंट गाड़ी/बैल गाड़ी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाएः—
- |    |                                                                                  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अ. | जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि<br>जो अति जिला कलेक्टर स्तर से कम न हो          | अध्यक्ष |
| ब. | अधीक्षण अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग<br>का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियंता से कम न हो | सदस्य   |
| स. | कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा<br>लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय               | सदस्य   |
5. जिन समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टैंकर/बैलगाड़ी की व्यवस्था की जानी है, वहाँ वह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्बव स्थानीय हो।
6. ऐसे जिले जहाँ पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो भूतपूर्व सर्विसमैन अथवा सेवा निवृत वाहन चालक एवं खलासियों को वित्त विभाग/आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के नवीनतम आदेश द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।
7. सभी समस्याग्रस्त गांवों/झाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षों में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग अलग की जावे एवं पेयजल स्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।
8. जिला कलेक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण (बिन्दु संख्या 7 के अनुसार) उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती हैं। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।
9. (i) शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 4 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेंडर प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

12/2/14

(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दरों को आरक्षित कर रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामूहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों का ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।

10. पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उसे कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर कमांक (सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।
11. पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
12. जो गांव जलदाय विभाग से जुड़े हुए नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलक्टर द्वारा की जाए।
13. पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलक्टरों को किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो किराये का निर्धारण वर्तमान स्थिति के अनुसार आंकलन कर बिन्दु संख्या 4 पर गठीत कमेटी द्वारा किया जायेगा।
14. निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 4 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।
15. पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी. विधुत वितरण निगम, राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।
16. जिला कलक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

8  
12/2/19

17. विभाग को समय-समय पर जिला कार्यालयों से लम्बित भुगतान के प्रकरण प्राप्त होने पर पेयजल परिवहन के बिलों का लम्बित रहने का मुख्य कारण संवेदकों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत करना बतलाया जाता है। अतः पेयजल हेतु संवेदकों को अनुबन्धित करते हुए यह शर्त अवश्य समिलित की जाये कि प्रत्येक माह के बिल संवेदकों द्वारा सभी पूर्तिया करवाते हुए आगामी माह की 10 तारिख तक आवश्यक रूप से कार्यकारी कार्यालय को प्रस्तुत कर दिये जाये, अन्यथा देरी होने पर 10 प्रतिशत राशि की काटौती बिलों में से की जायेगी।
18. जिला कलक्टर, उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

19. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर अनुज्ञय दिनांक से अनुज्ञय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत / जन स्वा.अभि.विभाग द्वारा करवाया जावेगा। यदि कोई पंचायत प्रशासन के आदेश के बावजूद भी पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है तो यह कार्य तहसीलदार / जलदाय विभाग के माध्यम से अनुमोदित दरों पर करवाया जावेगा।
20. अभावग्रस्त क्षे.त्र(ग्रामीण एवं शहरी) के संबंधित क.अभियन्ता, ग्राम प्रभारी/पटवारी, ग्रामसेवक पदेन सचिव, सरपंच, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि तथा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है) के पश्चात ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
21. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने हेतु किराये के वाहन लेने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है जिसमें जिला कलक्टर अध्यक्ष, अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वा.अभियांत्रिकी विभाग सदस्य, प्रभारी अधिकारी सहायता सदस्य, अधिषाशी अभियन्ता जन स्वा.अभियांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव एवं कोषाधिकारी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर गुडस फीकल एकट के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप ट्रक/टैंकरों का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। अतः उक्त व्यवस्था कार्य में ली जाकर पेयजल परिवहन का कार्य नियमित रूप से सम्पादित कराया जावें।
22. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पेयजल टैंकर वास्तविक रूप से समस्याग्रस्त ग्रामों की जनता को उपलब्ध हों, खासतौर से एस.सी./एस.टी. की बस्तियों में यह पानी उन्हे उपलब्ध हो। इन टैंकरों के ग्रामों में आगमन एवं वितरण की सत्यता को भी सुनिश्चित किया जावे। जलदाय विभाग की स्कीमों से जुड़े गांवों में टैंकरसें से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सावधानी बरती जाए तथा इन क्षेत्रों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय जिला कलक्टर के स्तर से ही लिया जावे। क्षेत्र में नलकूप या हेण्डपम्प चालू हो जाने पर टैंकर परिवहन तुरन्त बन्द किया जावे।

8/2/14

23. टैंकर परिवहन के बिलों का भुगतान प्रति 15 दिन की अवधि में किया जावे क्योंकि एक साथ देरी से बिलों का भुगतान करने की स्थिति में अनियमितताओं की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है।
24. जिले के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त प्रत्येक 10 दिवसों में पेयजल परिवहन की सूचना विभाग के निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

शासन सचिव  
१२/२/१४

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज०, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रबन्धक, राज्य विधुत वितरण निगम, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्मानीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, कोटा जोधपुर एवं उदयपुर।
9. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, आ०प्र० एवं सहायता विभाग, राज०, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव  
१५/१